.,जेस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# HRE Gazette of India

# असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii ) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1123]
 नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2008/श्रावण 15, 1930

 No. 1123]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2008/SRAVANA 15, 1930

# रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

( औषध विभाग )

### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2008

का.आ. 1955(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) तथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था।

अतः, अब, राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, गुवाहाटी (असम) में शैक्षिक वर्ष 2008-09 से एक पृथक कारपोरेट निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करती है ।

> [सं. 52/86/2008-नाईपर] जी. एस. संधू, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

### (Department of Pharmaceuticals)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2008

S. O. 1955(E).—Whereas, the Central Government had decided to establish National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam) and Raebareli (Uttar Pradesh).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby establishes National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Guwahati (Assam) as a separate body corporate, from the academic year 2008-09.

[No. 52/86/2008-NIPER]

G. S. SANDHU, Jt. Secy.

2968 GI/2008